दिल्ली संकल्प
28 मई, 2024

2024 में जमीनी स्तर के जन आंदोलन, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों की एक उच्च स्तरीय परामर्श बैठक बेंगलुरु में (21.5.2024) और दिल्ली में (28.5.2024) को आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से जागरूक और गंभीर नागरिक समाज के प्रमुख सदस्य शामिल हुए।

हम सभी, वर्तमान में जारी चुनावी प्रक्रिया, मतदाता जागरूकता, बूथ-स्तरीय सतर्कता और सभी वैधानिक निकायों और विशेष रूप से भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग वाले कार्यों में नजदीकी से शामिल रहे हैं।

सभी इस बात पर चिंतित हैं कि भारतीय गणराज्य के इतिहास में कभी भी लोकतंत्र की संस्थाओं में नागरिकों का विश्वास इतना कम नहीं रहा है। इसे देखते हुए, और शासन की कार्यशील संस्थाओं की स्वायत्तता और स्वतंत्रता के क्षरण को देखते हुए, आने वाले दिनों और हफ्तों में देश भर के साथी नागरिकों को सामूहिक रूप से सचेत करना चाहते हैं।

वर्तमान शासन की सभी नीतियों के खिलाफ प्रतिरोध की व्यापक आवाजें कृषि संकट, व्यापक आर्थिक असमानता और दरिद्रता, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ अपराधों के वास्तविक मुद्दों में परिलक्षित हुई हैं, जिन्हें चुनाव अभियान के दौरान व्यापक तौर पर मुद्दों के रूप में उठाया गया है, जो वर्तमान शासन के विभाजनकारी प्रयासों को खारिज करते हैं। 18वें लोकसभा चुनाव में भारत के नागरिक समाज की असाधारण और व्यापक लामबंदी ने नैरेटिव को स्थापित करने के अलावा यह सुनिश्चित किया है कि इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर ही वोट डाले जाएं और वर्तमान शासन का मूल्यांकन किया जाए।

हम सामूहिक रूप से मतगणना प्रक्रिया और उसके बाद आने वाले समय में हेरफेर की संभावनाओं पर चिंता व्यक्त करते हैं। भारत के मतदाताओं की ओर से, हम यह पुष्टि करना चाहते हैं कि यदि मतों की गिनती स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाती है तो जनादेश स्पष्ट रूप से इस शासन की नीतियों के विरुद्ध होगा। इसके अलावा, यदि इस जनादेश को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाता है, तो भारत के लोगों के लिए बदलाव निश्चित रूप से सुनिश्चित है।

हालांकि, हम इसके बाद की प्रक्रिया के बारे में बेहद चिंतित हैं और इस बारे में चिंता व्यक्त करते हैं कि क्या यह प्रक्रिया सुचारू रूप से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक रूप से आगे बढ़ेगी।

इस 18वें लोकसभा चुनाव की पूरी अवधि, विशेष रूप से चुनावों की घोषणा और आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने के बाद, संविधान, भारतीय कानून और एमसीसी के उल्लंघन और चुनाव प्रचार में कदाचार के स्पष्ट उदाहरणों से चिह्नित रही है। इस बात की वास्तविक आशंका और डर है कि लोगों के जनादेश का सम्मान करने में विफल होकर, मतगणना प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद भी इस तरह की सुनियोजित हेराफेरी जारी रहेगी।

हम भारत के लोग तैयार हैं और साथ खड़े हैं। भारत के लोग, हमारे किसान, युवा, अल्पसंख्यक और सार्वजनिक बुद्धिजीवी पिछले 10 वर्षों से सत्ता के क्रूर प्रयोग - लाठी, आंसूगैस, ड्रोन और कैद के बावजूद इस शासन की दमनकारी नीतियों का मुकाबला कर रहे हैं। हमने जन संगठनों, किसानों और मजदूरों के आंदोलनों, नागरिक समाज और राजनीतिक दलों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह चुनाव अभियान लड़ा है। हम इस देश के लोगों के सभी वर्गों के बीच एकता की सशक्त भावना के साक्षी रहे हैं।

यह भारत के लोग हैं जो सरकार चुनते हैं। कोई भी लोगों से ऊपर नहीं है। जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है, हम भारत के लोग संप्रभु हैं। हम देश के भविष्य और लिंग और समुदायों के सभी लोगों के एकजुट संघर्ष में अपनी आवाज और हिस्सेदारी का दावा करते हैं।

हमारा मानना है कि इस सामूहिक इच्छाशक्ति और जनविरोधी नीतियों के प्रतिरोध पर आधारित जनादेश देश भर में कई जन आंदोलनों, नागरिक समाज संगठनों और समूहों की सामूहिक भागीदारी से बना है।

यहां, 28 मई, 2024 को नई दिल्ली में और पिछले सप्ताह 21 मई, 2024 को बेंगलुरु में, हम अपने जनादेश की रक्षा करने का संकल्प लेते हैं:

हम संकल्प लेते हैं कि:

1. हम लोग 4 जून, 2024 को होने वाली मतगणना प्रक्रिया पर कड़ी नज़र रखेंगे।
2. हम सभी राजनीतिक दलों को दृढ़ता से याद दिलाएंगे कि वे मतगणना प्रक्रिया में अपनी भागीदारी और भूमिका पूरी करें।
3. हम खरीद-फरोख्त पर आधारित किसी भी जनादेश को अस्वीकार करेंगे।
4. हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के अपने कर्तव्यों की याद दिलाते हैं।
5. हम भारत की राष्ट्रपति से स्वतंत्र और निष्पक्ष परिणाम के आधार पर सरकार के सुचारू गठन को सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं।
6. हम सिविल सेवाओं, पुलिस, सुरक्षा और सशस्त्र बलों के सदस्यों पर लोगों के जनादेश के साथ खड़े होने का दृढ़ता से जोर देते हैं जो संविधान के प्रति उनकी वफादारी और निष्ठा की शपथ का हिस्सा है।
7. हम आग्रह करते हैं कि जो भी सत्ता में आए वह संविधान का पालन करे, उसकी रक्षा करे और उसे बनाए रखे।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों की इच्छा सुरक्षित है, हम निम्नलिखित बनाने का संकल्प लेते हैं:

A एक विजिलेंट टास्क फोर्स: इस टास्क फोर्स में 21 मई को बैंगलोर बैठक के परिणाम और यहाँ सभी हस्तक्षेपों के आधार पर सभी क्षेत्रों के लोग शामिल होंगे

तीन प्रमुख हस्तक्षेप और उनके तंत्र सामने रखे गए हैं:

A. लोगों द्वारा निर्धारित नैरेटिव को बनाए रखना
1. वास्तविकता पर आधारित एक काउंटर नैरेटिव का निर्माण करना जो इस शासन के प्रति प्रतिबद्ध एक स्थापित वाणिज्यिक मीडिया के पूर्व-निर्धारित नैरेटिव का मुकाबला करता हो
2. स्वतंत्र मीडिया और सामाजिक क्षेत्र के समूहों को अपने स्वयं के जमीनी स्तर के सर्वेक्षण करने और सोशल मीडिया के माध्यम से इसे व्यापक रूप से साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना।
3. यह सुनिश्चित करना कि वर्तमान सरकार द्वारा मीडिया का दुरुपयोग और हेरफेर करने (एग्जिट पोल और इसी तरह के माध्यम से) की मनोवैज्ञानिक हेरफेर की रणनीति का मुकाबला करने के लिए सुसंगत विचारों का एक वैकल्पिक सेट बनाया जाए।

B. मतगणना दिवस (4 जून, 2024) पर नागरिकों की सतर्कता

1. 4 जून, 2024 को देश भर में कम से कम 225-250 निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर राजनीतिक विपक्ष का समर्थन करने के लिए मतगणना प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी जारी रहेगी।

2. हम विपक्षी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर काम करें ताकि मतगणना एजेंटों को एक व्यवस्थित, चरण-दर-चरण मतगणना प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित किया जा सके जो शासन द्वारा किसी भी डराने और धमकाने की रणनीति से जल्दबाजी में न हो।

3. हम चुनाव आयोग और उसके सभी राज्य स्तरीय अधिकारियों को हर बूथ तक याद दिलाएं कि उनकी निष्ठा भारतीय लोगों और भारतीय संविधान के प्रति है, न कि सत्ता में बैठी सरकार के प्रति।

4. जिला कलेक्टरों (रिटर्निंग ऑफिसर) को पत्र लिखकर उन्हें उनके संवैधानिक दायित्वों और कर्तव्यों की याद दिलाना।

5. देश भर में संवेदनशील बूथों पर नागरिकों को जुटाया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मतगणना प्रक्रिया कानून और नियम पुस्तिका के अनुसार, स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। नागरिकों की यह भागीदारी, गिनती की निगरानी, मतगणना केंद्रों के बाहर राज्यवार दिखाई देगी।

6. हम इस समन्वित प्रयास को सुविधाजनक बनाने के लिए एक मतगणना सतर्कता मैनुअल बनाएंगे।

C. ट्रांजिशन वॉच कमीशन (परिणाम घोषित होने पर)

7. स्वतंत्र और निष्पक्ष मतगणना के लिए देश भर के हर राज्य में प्रेस मीट आयोजित की जाएं और इस मीटिंग में पारित प्रस्तावों को शेयर करें।

8. चल रही प्रक्रियाओं और नागरिकों की भागीदारी के बारे में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सभी स्वतंत्र संस्थानों को संवेदनशील बनाएं।

9. भारत की राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) और राजनीतिक दलों को सामूहिक पत्र लिखे जाएं। (राजनीतिक दलों को राज्यों और केंद्र में अपनी समन्वय समितियां बनाने के लिए भी तैयार रहना चाहिए।

10. जन संगठनों और नागरिक समाज के साथ समन्वय स्थापित करें और सतर्क रहें। यदि कोई प्रक्रिया भारतीय संविधान और कानून का उल्लंघन करती है तो अपने शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार का प्रयोग करें। विपक्षी दलों को जनादेश के किसी भी उल्लंघन के प्रतिरोध में मार्च करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

11. जब भी आवश्यकता हो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएं और संविधान के आधार पर जवाब की अपेक्षा करें

12. सभी सांसदों को याद दिलाया जाता है कि यदि वे चुनाव परिणाम के बाद किसी भी खरीद-फरोख्त में शामिल होते हैं तो हम भारत के लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे

हम भारत के प्रत्येक मतदाता और नागरिक को यह सुनिश्चित करने के लिए आमंत्रित करते हैं कि भारत के लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाए और उसे प्रतिबिंबित किया जाए।

दिल्ली
28 मई, 2024